

## भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रमाण – पत्र

इन लेखों की जांच भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम 1991 की धारा 48 और नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे निदेशन में की गई है। मेरे अधिकारियों द्वारा मांगी गई और प्राप्त की गई सूचना और व्याख्या और लेखों की परीक्षण के तौर पर की गई लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित अब प्रस्तुत किए गए लेखे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वर्ष 2006–2007 के लेखों तथा मेरे प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वर्ष 2006–2007 (01/04/2006 से 31/03/2007 तक) की प्राप्तियों और संवितरण का सही विवरण है।

नई दिल्ली  
दिनांक :

(विनोद राय)  
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

### Certificate of the Comptroller and Auditor General of India

These accounts have been examined under my direction in accordance with the requirements of Article 149 of the Constitution of India, Section 48 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, and the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971. On the basis of the information as a result of test audit of accounts, the accounts now presented, read with the observations in this compilation are correct statements of the receipts and disbursements for the purpose of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year 2006-2007 subject to the observations in my Report on the accounts of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year 2006-2007 (01/04/2006 to 31/03/2007).

New Delhi  
Dated:

(Vinod Rai)  
Comptroller and Auditor General of India

